ज्ञानोत्सव 2019 दिनॉक 31.08.2019 द्वितीय सत्र दोपहर बाद

2. विश्व की प्रमुख समस्याएँ और समाधान

यदि हम विश्व की सामाजिक स्थिति का ऑकलन करें तो पाते हैं कि विश्व में भौतिक उन्नति तो बहुत तेजी से हो रही है किन्तु नैतिक पतन भी उतनी ही तेज गति से हो रहा है। सारे विश्व में जितनी हत्याएँ या अन्य अपराध अपराधियों के द्वारा हो रहे हैं, उससे कई गुना अधिक धर्मों अथवा राज्य व्यवस्थाओं के आपसी टकराव से हो रहे हैं। मानवता की सुरक्षा के नाम पर जितनी सुरक्षा हो रही है उससे कई गुना ज्यादा मानवता का हनन हो रहा है। वैसे तो सम्पूर्ण विश्व में अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्याएँ व्याप्त हैं किन्तु उन सब में भी कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ चिन्हित की गई हैं जिनके समाधान का कोई मार्ग खोजना आवश्यक है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि पिछले कई दशकों से ये समस्याएं सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी ही है तथा अब भी लगातार बढ़ती जा रही है–

1. निष्कर्ष निकालने में विचार–मंथन की जगह विचार–प्रचार का अधिक प्रभावकारी होना।
2. संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरी।
3. राजनीति, धर्म और समाज सेवा का व्यवसायीकरण।
4. भौतिक पहचान का संकट।
5. समाज का टूटकर वर्गो में बदलना।
6. राज्य द्वारा दायित्व और कर्तव्य की परिभाषाओं को विकृत करना।
7. मानव स्वभावतापवृद्धि।
8. मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि।
9. धर्म और विज्ञान के बीच बढ़ती दूरी।

(1) निष्कर्ष निकालने में विचार–मंथन की जगह विचार–प्रचार का अधिक प्रभावकारी होनाः

आज सम्पूर्ण विश्व में प्रचार करने की होड़ मची हुई है। अनेक असत्य–सत्य के समान स्थापित हो गये है, तथा लगातार होते जा रहे है। भावनाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा विचार–मंथन को कमजोर व किनारे किया जा रहा है। विचार–मंथन तथा विचारकों का अभाव हो गया है और विचार–प्रचार के माध्यम से तर्क को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। संसद तक में विचार–मंथन का वातावरण नहीं दिखता। कभी–कभी तो संसद में भी बल प्रयोग की स्थिति पैदा होने लगी है। इसके समाधान के लिए उचित होगा कि विचार, शक्ति, व्यवसाय और श्रम के आधार पर योग्यता रखने वालो को बचपन से ही अलग–अलग प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो। प्रवृत्ति और क्षमता का अलग–अलग टेस्ट हो। विधायिका, अनुसंधान आदि के क्षेत्र विचारको के लिए आरक्षित कर दिये जाये।

(2) संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरीः

सारी दुनियां में राज्य और समाज के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ता जा रहा है। समाज के आन्तरिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। परिवार व गॉव की आन्तरिक व्यवस्था में भी राज्य निरंतर हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पास समेट रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा लोक–नियंत्रित तंत्र से बदलकर लोक–नियुक्त तंत्र तक सीमित की जा रही है। संविधान तंत्र और लोक के बीच पुल का काम करता है किन्तु संविधान संशोधन में भी तंत्र निरंतर लोक को बाहर करता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण विश्व में लोकतंत्र के स्थान पर लोक स्वराज्य की दिशा में बढ़ा जाये। लोक स्वराज्य लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी को कम करने में बहुत सहायक हो सकता है। इस कार्य के लिए सबसे पहला कदम यह उठना चाहिए कि किसी भी देश का संविधान तंत्र अकेले ही संशोधित न कर सके। या तो लोक द्वारा बनाई गई किसी अलग व्यवस्था से संशोधित हो अथवा दोनो की सहमति अनिवार्य हो। उसके साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि परिवार तथा स्थानीय इकाईयों को भी सम्प्रभुता सम्पन्न मानने के बाद कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण अधिकार तंत्र के पास रहने चाहिए।

(3) राजनीति, धर्म और समाज सेवा का व्यवसायीकरणः

सारी दुनियां में समाज व्यवस्था की जगह पूँजीवाद का विस्तार हो रहा है। प्राचीन समय में विचारकों और समाजसेवियों को राजाओं/राजसत्ता से भी उपर सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था, किन्तु वर्तमान समय में विचारकों और समाजसेवियों का अभाव हो गया है। यहॉ तक कि धर्मगुरु,समाजसेवी, राजनेता सभी किसी न किसी रुप में धन बटोरने में लग गये है। समाज सेवा के नाम पर एन.जी.ओ. के बोर्ड लगाकर धन इकठ्ठा किया जा रहा है। सारी दुनियां के राजनेताओं में धन संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती जा रही समस्या के समाधान के लिए हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि सम्मान,शक्ति, सुविधा कहीं भी एक जगह किसी भी रुप में इकठ्ठी न हो जाये। जो व्यक्ति जिस प्रकार की इच्छा और क्षमता रखता हो, वह सम्मान, शक्ति और सुविधा में से किसी एक का चयन कर ले किन्तु यह आवश्यक है कि उसे अन्य दो की इच्छा त्यागनी होगी।इन तीनों के बीच तो खुली और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो सकती है, किन्तु, श्रमजीवियों को मूलभूत आवश्यकताओं की गारण्टी व्यवस्था द्वारा दी जायें। यह व्यवस्था कुछ कठिन अवश्य है किन्तु इसके अतिरिक्त कोई अन्य समाधान नहीं है।

(4) भौतिक पहचान का संकटः

प्राचीन समय में गुण–कर्म–स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था बनाकर व्यक्तियों की अलग–अलग पहचान बनाई गई थी। यह पहचान यज्ञोपवीत के माध्यम से अलग–अलग होती थी। संन्यासियों के लिए भी अलग वेशभूषा का प्रावधान था। विवाहित

अविवाहित की भी पहचान अलग थी। यहॉ तक कि समाज बहिष्कृत लोगों को भी अलग से पहचाना जा सकता था। दुनियां के अनेक देशों में अधिवक्ता, पुलिस,न्यायाधीश आदि की भी ऐसी अलग–अलग पहचान होती है कि कोई अन्य भ्रम में न पड़ सके। यदि बिना किसी व्यवस्था के इस प्रकार की नकली पहचान हर किसी के लिये सहज–सुलभ, सुविधाजनक व प्रचलित हो जाये तो अव्यवस्था फैलना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में धीरे–धीरे यही हो रहा है। अब विद्वान, संन्यासी, फकीर, समाजसेवी बिना किसी योग्यता और परीक्षा के नकली पहचान बनाने में सफल हो जा रहे है। कोई एन.जी.ओ का बोर्ड लगाकर मानवाधिकारवादी हो जा रहा है, तो कोई पर्यावरणवादी जिनका दूर–दूर तक न मानवाधिकार से कोई सम्बन्ध है, न ही पर्यावरण से। ऐसे लोग व्यवस्था को ब्लैकमेल भी करने में लगे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी पहचान को तब तक प्रतिबन्धित कर देना चाहिए जब तक कि उसने किसी स्थापित व्यवस्था से प्रमाण–पत्र प्राप्त न किया हो, साथ ही नकली प्रमाण पत्रों पर भी कठोर दण्ड की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।

(5) समाज का टूटकर वर्गो में बदलना:

पूरे विश्व में वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष व वर्ग संघर्ष की आंधी चल रही है। वर्ग समन्वय लगातार घट रहा है तथा वर्ग विद्वेष बढ़ रहा है। मानव प्रवृत्ति के आधार पर दो ही सामाजिक वर्ग हो सकते है–(1) शरीफ (2) बदमाश। इस सामाजिक वर्ग निर्माण की जगह धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र, उम्र,लिंग, गरीब–अमीर, किसान–मजदूर, गॉव–शहर जैसे अन्य अनेक वर्ग बन रहे है तथा बनाये जा रहे है। बिल्लियों के बीच बंदर के समान हमारी शासन व्यवस्था वर्ग निर्माण व वर्ग विद्वेष के माध्यम से समाज व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करके अपने को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास बहुत घातक है। समाज को चाहिए कि वह मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक जैसी प्रवृत्ति के आधार पर बने वर्गो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के वर्ग निर्माण को तत्काल अवांछित घोषित कर दे। साथ ही वर्तमान समय में बन चुके वर्गो में भी वर्ग समन्वय की भावना विकसित की जाये।

(6) राज्य द्वारा दायित्व और कर्तव्य की परिभाषाओं को विकृत करना:

प्राकृतिक रुप से व्यक्ति के लिये दो ही कार्य किये जाने आवश्यक होते है–(1) व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा (2) व्यक्ति को सहजीवन की ट्रेनिंग। राज्य का दायित्व होता है कि वह न्याय और सुरक्षा के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करे। समाज का दायित्व होता है कि वह व्यक्ति को सहजीवन की ट्रेनिंग दे। पूरी दुनियां में राज्य दायित्व और स्वैच्छिक कर्तव्य का अंतर या तो भूल गया अथवा जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहा है। जनकल्याणकारी कार्य राज्य के स्वैच्छिक कर्तव्य होते है, दायित्व नहीं। राज्य समाज को गुलाम बनाकर रखने के उद्देश्य से जनकल्याणकारी कार्यो को अपने दायित्व घोषित करता है। इस भ्रम निर्माण से सुरक्षा और न्याय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि राज्य अपने समय व सं

साधनों का प्रयोग सुरक्षा और न्याय पर कम तथा जनकल्याणकारी कार्यो पर ज्यादा करता है। सुरक्षा और न्याय प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, राज्य द्वारा दी गई अन्य सुविधायें व्यक्ति का अधिकार नहीं होता किन्तु राज्य द्वारा जनकल्याणकारी कार्यो को अपना दायित्व मान लेने से आम नागरिक इन सुविधाओं को अपना अधिकार समझने लगते है। इस भ्रम के कारण ही समाज में अनेक टकराव उत्पन्न हो रहे है। आम लोग हर छोटी बड़ी बात के लिये राज्य के मुखापेक्षी हो गये है क्योंकि सुविधा लेना प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अधिकार मान लिया है।

इस समस्या के समाधान के लिए राज्य को सुरक्षा और न्याय तक ही सीमित हो जाना चाहिए। जनकल्याण के अन्य कार्य राज्य अतिरिक्त कर्तव्य के रुप में चाहे तो कर सकता है किन्तु यह उसका दायित्व नहीं होता और न ही राज्य उसके लिए समाज पर कोई बाध्यकारी टैक्स लगा सकता है।

(7) मानव स्वभाव में तापवृद्धि:

पूरी दुनियां में मानव स्वभाव लगातार आवेश, हिंसा, प्रति–हिंसा की दिशा में बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग के वास्तविक आशय में मानव स्वभाव तापवृद्धि भी शामिल होती है। यह मानव स्वभाव ताप पूरी दुनियां में बढ़ रहा है। किन्तु हम मानव स्वभाव तापवृद्धि के स्थान पर पर्यावरणीय तापवृद्धि को अधिक महत्व दे रहे है। पर्यावरण की भी चिंता होनी चाहिए किन्तु मानव स्वभाव की तापवृद्धि की तुलना में पर्यावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानना गलत है। इस तापवृद्धि के कारण सारी दुनियां में हिंसक टकराव बढ़ रहे है। पश्चिमी जगत ऐसे टकरावों से अपने आर्थिक लाभ उठाकर संतुष्ट हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें चाहिए कि सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त अन्य सारी व्यवस्था राज्य से लेकर परिवार, गांव, जिला, प्रदेश तथा केन्द्र तक बॉट दी जावें। इससे राज्य सफलतापूर्वक न्याय और सुरक्षा को संचालित कर सकेगा, तथा अन्य कार्य भी सामाजिक इकाईयॉ राज्य मुक्त अवस्था में ठीक से कर पायेंगी।

(8) मानव स्वभाव में स्वार्थ वृद्धि:

सम्पूर्ण विश्व में मानव स्वभाव में स्वार्थ बढ़ रहा है। स्वार्थ के कारण अनेक प्रकार के टकराव बढ़ रहे है। स्वार्थ के दुष्प्रभाव से ही परिवार व्यवस्था भी छिन्न–भिन्न हो रही है तथा समाज व्यवस्था में भी लगातार टूटन आ रही है। स्वार्थ लगातार मानव स्वभाव में बढ़ता जा रहा है। कमजोरों का शोषण आम बात हो गई है। आमतौर पर व्यक्ति अपने मानवीय कर्तव्यों को भी भूल रहा है। स्वार्थ के कारण ही सम्पत्ति के झगड़े पैदा हो रहे है।

मानव स्वभाव में स्वार्थ के बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण है 'पश्चिम का सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार का सिद्धान्त'। अभी तक सम्पत्ति की तीन व्यवस्थाऍ मानी गई है–(1) व्यक्तिगत सम्पत्ति (2) सार्वजनिक या राष्ट्रीय सम्पत्ति जो साम्यवाद

का सिद्धांत है तथा जो असफल हो चुका है। (3) गॉधी जी का ट्रस्टीशिप जो अभी तक अस्पष्ट है। यही कारण है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिद्धांत लगातार बढ़ रहा है। इस समस्या का समाधान संभव है। व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा ट्रस्टीशिप को मिलाकर एक नया सिद्धांत बना है जिसमें सम्पत्ति परिवार की मानी जायेगी तथा परिवार में रहते हुए व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का ट्रस्टी मात्र होगा, मालिक नहीं। इस संशोधन से स्वार्थ वृद्धि पर अंकुश लगना संभव है। कोई भी व्यक्ति, कभी भी सामूहिक सम्पत्ति में से अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकता है और नये परिवार में शामिल होकर सम्पत्ति सामूहिक कर सकता है किन्तु कोई व्यक्ति अकेला सम्पत्ति न रख सकता है न उपयोग कर सकता है।

(9) धर्म और विज्ञान के बीच बढ़ती दूरीः

धर्म और विज्ञान के बीच भी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जब से धर्म ने गुणात्मक स्वरुप छोड़कर संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण किया है तब से उसमें लगातार रूढ़िवादिता बढ़ती जा रही है। रुढ़िवाद धर्म को विज्ञान से बहुत दूर ले जाता है। रुढ़िवाद के कारण ही भावनाओं का विस्तार होता है तथा विचार शक्ति घटती है जबकि विज्ञान विचार के माध्यम से निष्कर्ष निकालता है तथा गलत को सुधारने की प्रक्रिया में लगा रहता है। इस रूढ़िवाद के कारण भी पूरे विश्व में अनेक समस्याऍ पैदा हो रही है। पहले तो इस्लाम ही रुढ़िवाद का एकमात्र पोषक था किन्तु अब तो धीरे–धीरे यह बीमारी हिन्दुओं में भी बढ़ती जा रही है।

इसके समाधान के लिए रुढ़िवाद की जगह यथार्थवाद को प्रोत्साहित करना होगा। यथार्थवाद और विज्ञान के बीच तालमेल होने से इस समस्या का समाधान संभव है। आज दुनियां में आतंकवाद को सबसे बड़ी समस्या माना गया है किन्तु मेरे विचार में आतंकवाद उपर लिखी नौ समस्याओं का परिणाम है,कारण नहीं। यदि कोई बीमारी किसी कारण विशेष से होती है तो बीमारी को तत्काल रोकना उस बीमारी का समाधान न होकर, एक अल्पकालिक प्रयास होता है। यदि आतंकवाद को रोक भी लिया गया तो उपरोक्त नौ समस्याऍ नहीं सुलझ जायेगी। किन्तु यदि नौ समस्याओं का समाधान हो जाये तो आतंकवाद पैदा ही नहीं होगा या अपने आप समाप्त हो जायेगा। दूसरी बात यह भी है कि इन नौ समस्याओं का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। जबकि आतंकवाद का प्रभाव उस देश तक सीमित व्यक्तियों पर पड़ता है जो उस आतंकवाद की चपेट में रहते हैं। इसलिए मैंने आतंकवाद को प्रमुख समस्या न मानकर आतंकवाद सरीखी अनेक समस्याओं की जड़ को खोजने का प्रयास किया है। आप विचार करिये कि यदि–

1. विचार प्रचार के स्थान पर विचार मंथन प्रभावी हो जाये।
2. लोक और तंत्र के बीच दूरी घट जाये तथा अपराध मुक्त समाज होने तक लोक नियुक्त तंत्र की जगह लोक नियंत्रित तंत्र हो जाये।
3. राजनीति,धर्म और समाज सेवा का व्यापार बंद हो जाये।
4. किसी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसका टेस्ट लेकर उसे भौतिक पहचान देने की व्यवस्था हो।
5. वर्ग विद्वेष, वर्ग समन्वय में बदल जाये।
6. तंत्र सुरक्षा और न्याय को अपना दायित्व समझे तथा समाज के अपराध नियंत्रित होने तक जनकल्याणकारी कार्यो में हस्तक्षेप बंद कर दे।
7. लोक अपने को सुरक्षित महसूस करें तथा उसे कभी बल प्रयोग की आवश्यकता ही न पड़े।
8. व्यक्ति अपनी सीमायें समझे,और स्वार्थ भाव से मुक्त हो।
9. धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो जाये।

यदि इन नौ दिशाओं में बढ़ना शुरु कर दिया जाये तो आतंकवाद रहेगा ही नहीं और यदि कहीं पर रहेगा भी तो नियंत्रित हो जायेगा। मेरा तो यह भी मानना है कि यदि दुनियां की शासन व्यवस्था में 'एक विश्व संविधान' के अन्तर्गत एक विश्व सरकार बनने की भी पहल हो जाये तो भी आतंकवाद रुक सकता है।

उपरोक्त नौ समस्याओं के अतिरिक्त भी समाज में अनेक समस्याऍ व्याप्त है जो परिवार से लेकर सारे विश्व तक को प्रभावित करती है किन्तु मैंने उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को इंगित करके समाधान करने का प्रयास किया है। समाधान में से भी कई बाते एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र की जगह लोकस्वराज्य,व्यक्तिगत सम्पत्ति की जगह पारिवारिक सम्पत्ति,परम्परागत परिवार व्यवस्था की जगह लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था, जन्मना वर्ण व्यवस्था की जगह प्रवृत्ति अनुसार वर्ण व्यवस्था, संविधान संशोधन के असीम अधिकारों को संसद के एकाधिकार से निकालना तथा सम्पूर्ण जनता को उसमें भागीदार बनाना जैसे कुछ महत्वपूर्ण सुधार विश्व समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते है।

साराशः– एक विश्व सरकार हो जो विश्व संविधान से नियंत्रित और संचालित हो। विश्व संविधान निर्माण में दुनियां के प्रत्येक व्यक्ति की सहमति आवश्यक हो।

ज्ञानोत्सव 2019 दिनॉक 01.09.2019 प्रथम सत्र प्रातः काल

3. आर्थिक समस्याएं एवं समाधान

समाज मे शान्ति बनी रहने मे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भौतिक सुख का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस भौतिक सुख का ऑकलन होता है आर्थिक स्थिति से और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होता है अर्थ अर्थात धन से। अर्थ की इसी

महत्ता के कारण, अर्थ के सुचारू संचालन, सम्यक प्रबंधन व अर्थ पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक अर्थव्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि समाज में सुख और शान्ति बनी रहने में, इस अर्थव्यवस्था का ठीक होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में वर्तमान समय में छः आर्थिक समस्याएं दिखती हैं– 1. महंगाई 2. मुद्रा–स्फीति 3. गरीबी 4. भिक्षित बेरोजगारी 5. आर्थिक असमानता और 6. श्रमिक बेरोजगारी। इनमें से प्रथम चार भावनात्मक और अस्तित्वहीन समस्याएं हैं जो सिर्फ भ्रम मात्र हैं, जबकि शेष आखिरी दो समस्याएं वास्तविक समस्याएं हैं जिनका समाज की शान्ति व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

अस्तित्वहीन समस्याओं को जीवित रखना कुछ लोगो एवं संगठनों के संगठित प्रयासों का ही परिणाम है। ऐसी ही अस्तित्वहीन भावनात्मक समस्याओं में सबसे पहले महंगाई का नाम आता है। आज तक कोई भी न तो महंगाई को समझा पाया है और न ही कोई स्पष्ट परिभाषा ही बना पाया है। इसी वजह से महंगाई शब्द का व्यापक दुरूपयोग हुआ है। काफी तथ्यात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षो में सोना–चांदी, जमीन और सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग बहुत महंगा हुआ है जबकि पेट्रोल, डीजल, दालें, श्रम, खाद्य, तेल लगभग स्थिर हैं। इसके विपरीत अनाज, मिट्टी का तेल, कपड़ा, बिजली, इलैक्ट्रोनिक गुड्स सहित हजारों लाखों सामान या तो सस्ते हुये हैं या बहुत सस्ते हुये हैं। सन् सैंतालीस में एक मजदूर को दिन–भर की मजदूरी के रूप में किसान दो से तीन किलो अनाज देता था तो आज दस से पंद्रह किलो। मैं नहीं समझा कि क्या मंहगा हुआ और क्या सस्ता? सामान्य सिद्धान्त है कि किसी वस्तु की जिस आधार वस्तु से तुलना की जाती है उस आधार वस्तु को स्थिर होना चाहिये। पुराने समय में ऐसी आधार वस्तु के रूप में सोना को रखा गया था जो बाद में बदलकर चांदी और अब वर्तमान में अस्थिर आधारों वाला रूपया बना दिया गया है। वास्तविकता तो यह है कि रूपये का लगातार अवमूल्यन हुआ है जिसे बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, पूंजीपतियों इत्यादि ने महंगाई के रूप में सुनियोजित तरीके से प्रचारित किया। यदि आपको वस्तु के महंगी या सस्ती होने का वास्तविक ऑकलन करना हो तो उस वस्तु के आज के मूल्य मे सन् सैंतालिस से आज तक की मुद्रा स्फीति का भाग देकर ही वास्तविकता को समझा जा सकता है। इस तरह भारत में न तो महंगाई बढ़ी है और न ही उसका आम जन–जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है। महंगाई का हो–हल्ला राजनेताओं ने सत्ता संघर्ष में उपयोग के लिये, सरकारी कर्मचारियों ने अपना वेतन बढ़वाने के लिये तथा बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों ने आर्थिक असमानता जैसे वास्तविक मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिये किया है और यह हल्ला इतना संगठित और योजनाबद्ध तरीके से कि या गया जिसका असर पूरे भारत पर दिखने लगा। आ चर्य की बात तो यह है कि भारत की वर्तमान व्यवस्था पिछले कई द ाकों से इस अस्तित्वहीन समस्या को दूर करने के लिये निरन्तर प्रयत्न ील है, मगर यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

इसी तरह मुद्रा स्फीति को लेकर भारत में लगातार यह बात फैलाई जाती है कि मुद्रा स्फीति का सामान्य जन–जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जबकि यह धारणा पूरी तरह गलत है। मुद्रा स्फीति को हम दूसरे शब्दों में कह सकते है रूपये का 'मूल्य ह्रास', जिसका भावार्थ होता है नगद रूपये पर अघोषित कर। मुद्रा स्फीति का दुष्प्रभाव सिर्फ नगद रूपये पर ही पड़ता है जबकि अन्य किसी वस्तु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रा स्फीति का प्रभाव जमीन, मकान, अनाज, कपड़ा आदि सामान व श्रम या बुद्धि के मूल्य पर शून्यवत होता है। अब प्र न ये आता है कि मुद्रा स्फीति का सामान्य जन–जीवन पर क्या और कैसे प्रभाव होगा, इसका स्पष्ट उत्तर आज तक नहीं मिला है। मेरे विचार में जहॉ महंगाई एक अस्तित्वहीन समस्या है, वहीं मुद्रा–स्फीति प्रभावहीन समस्या है।

भारत में सर्वाधिक प्रचारित की गई समस्याओं में से एक अन्य समस्या गरीबी भी है। गरीबी पर लेख लिखने वाले विद्वान और अर्थशास्त्री आज तक ये नहीं बता पाये कि गरीबी की परिभाषा क्या है? फिर भी, यदि हम शासकीय मापदण्डों को ही स्वीकार कर ले तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालो की संख्या में बहुत कमी आयी है और इसके साथ ही, यह भी गौर करने लायक बात है कि आम आदमी का जीवन स्तर भी ऊॅचा हुआ है। वास्तविकता ये है कि 'गरीबी' कोई स्वतंत्र शब्द न होकर एक सापेक्ष शब्द है जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की तुलना बहुत बड़े आदमी से की जाये तो वह गरीब दिखता है और अत्यन्त गरीब से तुलना करें तो वह धनवान दिखने लगता है। भारत में अब तक गरीबी दूर करने में जितना रूपया खर्च हुआ है, वह यदि नहीं खर्च हुआ होता, तो भी भारत में गरीबी लगभग आज की तरह ही रहती। वर्तमान समय में सिर्फ एक वर्ष में गरीबी दूर करने के प्रयास पर होने वाले कुल खर्च का ऑकड़ा भी विस्मयकारी हो सकता है। भारत में 'गरीबी हटाओं' नारा गरीबों के लिये कितना सार्थक रहा है यह तो नहीं बताया जा सकता लेकिन यह नारा नौकर ाहों, राजनेताओं तथा बिचौलियों की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार जरूर बना है।

भारत में एक और शब्द भावनात्मक रूप से प्रचारित हुआ है और वो है भिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगारी शब्द की परिभाषा पर गहन चिंतन–मनन और व्यापक खोजबीन की गई तो यह परिभाषा इस तरह बनी– 'किसी स्थापित इकाई द्वारा

घोषित न्यूनतम श्रम मूल्य पर योग्यतानुसार काम का अभाव।' प्र न उठता है कि एक व्यक्ति डेढ़ सौ रूपये में कहीं काम करने को मजबूर है क्योकि उसकी स्थिति उसे तत्काल काम करने हेतु मजबूर कर रही है। दूसरी ओर एक डॉक्टर एक हजार रूपये में काम करने के लिये इसलिये तैयार नहीं है कि उसकी योग्यतानुसार उसे दो हजार रूपये चाहिये। तो समाज के लिये किसे बेरोजगार मानकर उसकी चिन्ता करना उचित होगा। न्यूनतम घोषित श्रम मूल्य से भी कम पर काम कर रहे मजदूर की चिन्ता पहले की जाये या योग्यतानुसार मूल्य की प्रतीक्षा में बेकार बैठे डॉक्टर की चिन्ता।

आय के तीन स्रोत माने जाते है– 1. श्रम 2. बुद्धि 3. धन। जिस व्यक्ति के पास आय के दो साधन है वह कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। बेरोजगार तो वही हो सकता है जिसके पास श्रम के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। सामान्यतः लोग बेरोजगारी के लिये उदाहरण देते हुये कहते है कि कहीं एक सौ पद के लिये मांग की जाती है तो दसियों हजार व्यक्ति उस पद के लिये टूट पड़ते हैं। यह उदाहरण बिल्कुल गलत भी है और षड़यंत्र भी। कही ऐसी भागदौड़ नहीं है यदि उक्त एक सौ पद का वेतनमान न्यूनतम श्रम मूल्य से कई गुणा अधिक न हो। एक ड्रम रबड़ी रखकर उसे खाने के लिये टूट पड़ने वालों के आधार पर पूरे गांव के भूखे होने का ऑकलन तैयार करने वाली व्यवस्था को यदि षड़यंत्र न कहें तो और क्या कहें? मैं बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि यदि बेरोजगारी को किसी स्थापित व्यवस्था के दायित्व के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है तो उसे श्रम के साथ ही जोड़ना होगा। यदि आपने उसे भिक्षा के साथ जोड़ा तो वह श्रम के साथ धोखा माना जायेगा। भिक्षित बेरोजगारी शब्द को स्थापित करने के पीछे बुद्धिजीवियों का एक सुनियोजित षड़यंत्र है क्योंकि उनका मूल उद्दे य तो श्रम का शोषण करना है। और, वह अपने उद्दे य में कहीं तक सफल भी है क्योंकि उन्होंने वर्तमान समय में भिक्षित बेरोजगारी को एक मूल समस्या के रूप में स्थापित कर दिया है। वर्तमान समय में बेरोजगारी पर चोट करने का तात्कालिक उपाय यह है कि सभी सरकारी कार्यों का वेतन न्यूनतम घोषित श्रम मूल्य तक स्थिर कर दिया जायें और जिन पदों पर इस आधार पर कोई बेरोजगार काम करने को न मिले उस पद पर ही अधिक वेतन की व्यवस्था हो। इसका परिणाम यह होगा कि एक ही आदे ा से करोड़ों लोग रोजगार भी पा जायेगे और शासन की आर्थिक बचतें भी हो जायेगी।

दो समस्याएं भारत में वास्तविक हैः पहली है– श्रमिक बेरोजगारी। पूरी दुनियां की तुलना में भारत में श्रम मूल्य में अत्यधिक विसंगतियां हैं। भारत के एक राज्य के मुकाबले में दूसरे राज्य में श्रम मूल्य भिन्न हैं यही नहीं, स्त्री एवं पुरूष के श्रम मूल्य में भी भिन्नता है। दुनियां में सभ्य समाज को धोखा देने के उद्दे य से हमारी सरकारों ने न्यूनतम श्रम मूल्य के नाम पर कृत्रिम घोषणाएं कर रखी है। यह बड़े आ चर्य की बात है कि कोई सरकार किसी वस्तु का न्यूनतम मूल्य तो घोषित कर दे किन्तु उस वस्तु को उससे कम पर बिकते हुये भी उसे सम्हालने में अपना दायित्व न समझे और उसे यों ही बिकने दें। किन्तु आज मानव श्रम के साथ तो यही दुर्गति हो रही है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रम मूल्य से भी कम दर पर काम करने के लिये, अभी भी हजारों हाथ प्रतीक्षारत खड़े हैं। श्रम मूल्य की असमानता के कारण जब छत्तीसगढ़ के श्रमिक पलायन करके अन्य प्रदे ाों की तरफ जाने लगे, तब यहॉ के उद्योगपतियों ने षड़यंत्रपूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से श्रमिको के हितों के नाम पर श्रम पलायन पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिये। परिणामस्वरूप अब छत्तीसगढ़ के श्रमिक चोर और अपराधी के समान छिपकर तथा घूस देकर राज्य की सीमा से बाहर लाभदायक रोजगार के लिये जाता है। किसी भी समाज में सम्पन्नता का मापदण्ड वहां के औसत श्रम मूल्य को ही मानना चाहिये। वह भी वास्तविक श्रम मूल्य को न कि कृत्रिम श्रम मूल्य को जैसा कि घपला भारत में चल रहा है। कोई दे ा चाहे अन्य किसी भी आधार पर कितनी भी प्रगति कर ले, किन्तु यदि वह श्रम मूल्य में सुधार नहीं कर पाता तो उसकी सारी प्रगति अमानवीय ही कही जानी चाहिये।

पि चमी दे ा श्रम अभाव के दे ा है, जहॉ श्रम बहुत महंगा है। इसलिये श्रम सम्मान उनका स्वभाव बना हुआ है। भारत श्रम बाहुल्य दे ा हैं, जहॉ न केवल श्रम सस्ता है वरन आसानी से उपलब्ध भी है। इसलिये यहॉ श्रम सम्मान नहीं है। यदि भारत में श्रम की मांग बढ़े और श्रम का अभाव हो तो यहां भी श्रम का सम्मान होने लगेगा। मेरा तो यहॉ तक मानना है कि भारत की अनेक सामाजिक समस्याओं का कारण भी कही न कही श्रम की मांग की कमी के साथ जुड़ा हुआ है। विचारणीय है कि भारत एक ओर तो अपनी मानवीय उर्जा निर्यात के लिये दुनियां के सामने भिखारी बना रहता है तो दूसरी ओर वही भारत कृत्रिम उर्जा के आयात के लिये भी दुनियां की अमानवीय शर्ते मानने को मजबूर रहता है। भारत उत्पादन में श्रम का ठीक नियोजन नहीं कर रहा है।

भारतीय जनमानस में एक और आर्थिक समस्या गहरा घाव पैदा कर रही है और वह है आर्थिक असमानता। क्रय शक्ति भी बढ़ी है, भौतिक विकास भी अधिक हुआ है किन्तु इस सबके बाद भी आम जन में असन्तोष और कटुता का भाव इसलिये बढ़ा कि विकास बहुत ही असंतुलित हुआ। एक तरफ जहां गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति चीटीं की चाल से बढ़ी है, वहीं धनी लोगों की समृद्धि अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ी है। पूरे भारत में आर्थिक असमानता जिस तीव्र गति से बढ़ी और

बढ़ रही है उससे भारत में आपसी विद्वेष भी बहुत अधिक बढ़ा है और बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि आर्थिक असमानता भी एक बहुत बड़ी और यथार्थ समस्या है तथा आर्थिक समेत अन्य समस्याओं के समाधान में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

जब भी कोई व्यवस्था या व्यवस्था प्रमुख समाज में न्याय और सुरक्षा देने में विफल हो जाता है अथवा उसके मन में जनहित की अपेक्षा शासक और शासित का भाव प्रबल रूप धारण कर लेता है तब वह अपनी सत्ता को स्थिर बनाये रखने के लिये दस प्रकार के नाटक करता है। इन नाटकों में से तीन प्रकार के नाटक अर्थ व्यवस्था से सम्बन्ध रखते है– 1. समाज के गरीब और अमीरवर्ग के बीच इस प्रकार द्वेष भावना का विस्तार करें कि वह वर्ग विद्वेष बनकर वर्ग संघर्ष के रूप में अपनी जड़े जमा ले। 2. प्र ाासन/राज्य बिल्लियों के बीच बंदर की भूमिका निभावें 3. आर्थिक असमानता को प्रजातांत्रिक ढंग से निरन्तर मजबूत करने के लिये गरीब लोगों पर अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष सुविधा तथा अमीर लोगों पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष सुविधा देने की नीति पर काम करे। भारत में यद्यपि ये तीनों नाटक स्वतंत्रता के कुछ वर्षो बाद ही शुरू हो गये थे किन्तु वर्तमान व्यवस्था की अर्थनीति तो पूरी तरह इन तीनों नाटकों पर ही निर्भर है। भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर बुद्धिजीवियों तथा पूंजीपतियों का ऐसा भिकंजा कसा हुआ है कि उसकी प्रत्येक कर नीति प्रजातांत्रिक तरीके से श्रम शोषण और आर्थिक असमानता बढ़ाने में सहायक ही होती है। आर्थिक असमानता एवं श्रम शोषण के विरूद्ध दिन–रात आवाज उठाने वाले वामपंथी भी अन्ततोगत्वा अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों के हितों के पक्ष की ही नीतियों का समर्थन करते हैं, भले ही यह कार्य उन्हें पूंजीवादियों को गाली देकर ही क्यों न करना पड़े। ऐसा नहीं है कि यह बहुरूपियापन सिर्फ वामपंथी ही दिखाते हों, बल्कि इसमें कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दलों की भूमिका भी कहीं से उन्नीस नहीं है। यह तो हर आम भारतीय जानता है कि भारत में गरीबों और अमीरों को दो वर्गों में बाँटकर वर्ग–विद्वेष राजनेताओं द्वारा पैदा किया गया है, और इसे वे वर्ग संघर्ष की दि ाा में ले जा रहे है। कोई राजनैतिक बहुरूपीया गरीबी रेखा के नाम पर अपनी राजनैतिक दुकान चला रहा है तो कोई अन्य नाटककार अमीरी रेखा के नाम पर। उन्हें इस बात की जरा सी भी कल्पना नहीं है कि किस सफाई से, पूरे प्रजातांत्रिक तरीकों से तथा सबको संतुष्ट करते हुये यह आर्थिक असमानता की समस्या बढ़ाई जा रही है। आर्थिक असमानता बढ़ाने हेतु प्रजातांत्रिक ढंग से खेला जाने वाला यह खेल कुछ इस प्रकार से खेला जाता हैः–1. समाज का आर्थिक असमानता पर से ध्यान हटाने के लिये महंगाई और मुद्रा स्फीति को बड़ी समस्या के रूप में प्रचारित करना 2. श्रम शोषण के उद्दे य से 'भिक्षित बेरोजगारी' शब्द तैयार करके उसे महत्वपूर्ण बनाना 3. श्रम मूल्य की वास्तविक स्थिति छिपाने के लिये न्यूनतम श्रम मूल्य की ऐसी घोषणा करना जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध न हो। 4. करों का ऐसा ढाँचा तैयार करना जिससे अप्रत्यक्ष रूप से गरीबों से अधिक तथा अमीरों से कम कर वसूला जाये, जबकि प्रत्यक्ष रूप से दे ा को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को ये लगे कि गरीबों से कम और अमीरों से अधिक टैक्स वसूला जा रहा है तथा ऐसी वस्तुओं को सस्ता रखना जिसका उपयोग अमीर अधिक और गरीब कम करते हैं जिससे गरीबों के मन में ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षण पैदा हों ताकि गरीब लोग उसे अपने उपयोग की वस्तु मान लें।

भारत और उसकी सभी राज्य सरकारें पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ महंगाई भी दूर कर रहीं है साथ में पूरी ताकत से मुद्रा स्फीति को भी नियंत्रित कर रही हैं। भिक्षित बेरोजगारी दूर करने के पीछे, सभी सरकारे दीवानगी की हद तक चली गई है। कृत्रिम श्रममूल्य भी एक दो वर्षों में बढ़ा दिया जाता है। किन्तु तीसरे प्रकार का नाटक जिसमे गरीबों पर अप्रत्यक्ष–कर और प्रत्यक्ष सहायता तथा अमीरों पर प्रत्यक्ष–कर और अप्रत्यक्ष सहायता का प्रावधान है व जिसके अनुसार चौथी योजना पर काम होता है वह श्रम शोषण और आर्थिक असमानता बढ़ाने के उद्दे य से सर्वाधिक खतरनाक प्रयास है।

उपभोक्ता वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैः– 1. अनिवार्य आव यकता की 2. सुविधा की 3. विलासिता की। सभी प्रकार के अनाज, दाले, खाद्य, तेल मसाले, ईंट, कपड़ा, घास–भूसा आदि वस्तुएं गरीब वर्ग के लिये अनिवार्य आव यकता की श्रेणी में आती है और आवागमन, बिजली, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, अखबार, टेलिफोन आदि वस्तुएं सुविधा भी श्रेणी मे है। गरीब वर्ग के लिये जो वस्तुएं सुविधा की श्रेणी मे आती है वे हो सकता है कि उच्च या उच्चतम वर्ग के लिये अनिवार्य आव यकता की श्रेणी में शामिल हों, किन्तु ये वस्तुएं गरीबों के लिये तो निश्चित रूप से सुविधा में ही शामिल है अनिवार्य आव यकता में नहीं। वर्तमान व्यवस्था गरीबों की अनिवार्य आव यकता की वस्तुओं पर कर लगाती है और सुविधा की वस्तुओं पर छूट देती है। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान व्यवस्था यह कर भी इस तरह चोरी–चोरी छुपाकर तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगाती है कि इन वस्तुओं के उत्पादक किसान और उपभोक्ता गरीब लोगों को बिल्कुल पता न चले और बीच में बिचौलिओं के माध्यम से अरबो–खरबों रूपये वसूल लिये जायें। इसके ठीक विपरीत, व्यवस्था पोस्टकार्ड, मिट्टी का तेल, बिजली, अखबार आदि वस्तुओं पर भारी सब्सिडी प्रदान करती है। वैसे तो व्यवस्था कृत्रिम ऊर्जा, आवागमन, टेलिफोन

इत्यादि की मूल्य वृद्धि करने का साहस नहीं करती है लेकिन यदि कभी करने का प्रयास करे तो वामपंथी, राजनेता, मानवाधिकारवादी आदि संसद से लेकर सड़क तक भारी विरोध करते है। किन्तु जब कपास, दलहन, तिलहन, दवा, दे ाी वस्तुओं पर भारी कर लगाया/बढ़ाया गया तो इनमें से कोई भी कहीं भी विरोध करता हुआ दिखायी नहीं देता है। साइकिल जैसी वस्तु जो सिर्फ गरीबों के उपयोग की ही है, उसपर भी सैकड़ों रूपये प्रति साइकिल उत्पादन कर लगता है पर बुद्धिजीवी, पूंजीपतियों, वामपंथियों, राजनेताओं के गठजोड़ के कानों पर आज तक जूँ रेंगती कभी दिखाई नहीं दी है, विरोध करना तो बहुत दूर की बात है। विगत वर्षों में मध्यप्रदे ा और छत्तीसगढ की सरकारों ने कलम की एक नोंक पर मंडी टैक्स 50 पैसे से बढ़ाकर 2 प्रति ात कर दिया और इस एक शब्द के सं ाोधन मात्र से सभी प्रकार के कृषि उत्पादन पर चार गुणा कर लगने लगा। सोचिये आप कि क्या किसी को भी इस बारे में पता चला? क्या अन्य राज्यों की सरकारों ने इस तरह की मूल्य वृद्धि नहीं की? क्या कहीं कोई विरोध या शोर हुआ? नहीं ना! स्थिति की विकरालता को समझने के लिये आपकी जानकारी में यह बात होनी चाहिये कि सिर्फ गरीबों के उपयोग की वस्तुओं पर ही ऐसा कर लगता हो यह बात नहीं है। उनके उत्पादन का भी ऐसा ही हाल है। किसान अपने खेत में अपने खर्च से पैदा की गई इमारती लकड़ी को भी बेचते समय करीब 30 प्रति ात लकड़ी का मूल्य सरकार को टैक्स के रूप में चुकाता है जबकि न जमीन सरकार की है और न उसे कोई शासकीय सहायता मिलती है। साल बीज, बीड़ी पत्ता आदि अन्य प्रकार की वनोपज पूरी तरह मजदूर अपने श्रम से इकठ्ठा करता है किन्तु ऐसे इकठ्ठा सामान में से भी आधा तक सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है। आपको जानकर आ चर्य होगा कि महुआ पूरा का पूरा हाथ से इकठ्ठा होता है और महुआ के ये अधिकां ा पेड़ व्यक्तिगत जमीन पर होते है। ऐसे एकत्रित महुए पर भी बिक्री कर और मंडी टैक्स मिलाकर 6 प्रति ात तक सरकार ले लेती है। भारत में सामान्य जनों में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको यह जानकारी होगी कि किसान और ग्रामीणों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर सरकार इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स वसूलती है। दूसरी और वामपंथी, पूंजीपतियों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं के गठजोड़ द्वारा यह बात स्थापित कर दी जाती है कि गरीब–ग्रामीण–किसान से सरकार को कोई कर प्राप्त नहीं होता है। मैं पूरी तरह आ वस्त हूँ कि यदि गरीब, ग्रामीण, किसान द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुओं से सरकार टैक्स लेना बन्द कर दे तो ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सिर्फ एक वर्ष में ही बड़ा परिवर्तन आ सकता है किन्तु व्यवस्था कभी ऐसा नहीं करेगी। वह तो उसी में कभी बोनस तो कभी और कुछ नाटक करके श्रमजीवियों के साथ–साथ पूरे दे ा को धोखे में रखे रहेगी।

आर्थिक समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब आर्थिक असमानता में कमी तथा श्रम मूल्य वृद्धि हो। वर्तमान व्यवस्था इन दोनो के समाधान के नाम पर जो भी प्रयास कर रही है उससे समस्या घटने के बजाय बढ़ ही रही है जबकि इन दोनो समस्याओं का समाधान बिल्कुल भी कठिन नहीं है यदि हम कुल इतना कर सकें:–1. कृत्रिम ऊर्जा की इतनी भारी मूल्य वृद्धि कर दी जाये कि उसका मूल्य वर्तमान से लगभग ढाई गुना हो जाये तथा उसके साथ ही सभी प्रकार के बिक्री कर, प्रवे ा कर, मंडी टैक्स, उत्पादन कर, वनोपज रॉयल्टी या अन्य किसी भी प्रकार का कर जो किसी उत्पादक या उपभोक्ता के बीच लिया जाना है, उसे हम पूरी तरह समाप्त कर दें। 2. प्रत्येक परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकतम दो प्रति ात वार्षिक का सम्पत्ति कर लगाकर आयकर सहित सभी तरह के कर समाप्त कर दे। 3. सुविधा की उपभोक्ता वस्तुओं पर सारी सब्सिडी समाप्त कर दी जाये एवं सब्सिडी प्रथा पर और गम्भीर विचार करके कोई नीति बनाई जाये।

आर्थिक असमानता एवं श्रम शोषण के समाधान हेतु मेरे द्वारा दिये गये इन सुझावों को लेकर, स्थापित बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्रियों सहित तमाम लोग मेरा विरोध करेंगे, लेकिन सत्य यह है कि आप पि चम के विद्वानों की पुस्तकों के निष्कर्षो के आधार पर अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर सकेगे, क्योंकि उनकी और हमारी स्थिति में अन्तर है। एक तरफ जहॉ भारत श्रम बाहुल्य दे ा है, श्रम मूल्य कम है, गरीबी है, वहीं पि चमी दे ाों में श्रम अभाव है श्रममूल्य अधिक है, आर्थिक सम्पन्नता है। साथ ही दुनियां के गरीब दे ाों का शोषण करने की उनमें पर्याप्त क्षमता है। कृत्रिम ऊर्जा पर भारी मूल्य वृद्धि होने पर बेरोजगारी बढ़ने, उद्योगों पर बुरा असर पड़ने, आवागमन का बहुत अधिक महंगा हो जाने, किसानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने इत्यादि तरह–तरह के तर्क देने वालों की समझ पर एक प्र नचिन्ह स्वयं ही लग जाता है। या तो वे सुझावों को समझते नहीं अथवा जानबूझकर अनजान बन रहे हैं।

कृत्रिम उर्जा, श्रम अभाव क्षेत्रों में श्रम सहायक तथा श्रम बाहुल्य दे ाों में श्रम प्रतिस्पर्धी हुआ करती है। उत्पादन के लिये उपलब्ध ऊर्जा को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है– 1. जैविक ऊर्जा और 2. कृत्रिम ऊर्जा। इसके साथ ही उत्पादन के क्षेत्र को तीन भागों में– 1. वे कार्य जो सिर्फ श्रम से ही सम्भव है। 2. वे कार्य जो सिर्फ कृत्रिम ऊर्जा चलित म ाीनों से ही सम्भव है। 3. वे कार्य जो दोनों प्रकार की ऊर्जा से संभव है। बेरोजगारी तभी दूर हो सकती है जब श्रम ऊर्जा की अधिकाधिक मांग हो। कृत्रिम ऊर्जा चलित म ाीनों से बेरोजगारी दूर हो ही नहीं सकती। तीसरे प्रकार के कार्य

पर यह निर्भर करता है कि बेरोजगारी बढ़ेगी अथवा घटेगी, जो श्रम और म ीनों के अनुपात की घट–बढ़ से सम्बन्धित है। यदि कृत्रिम ऊर्जा सस्ती हुई तो श्रम सम्भव रोजगार म ीनों की दि ाा में आकर्षित होकर श्रम को बेरोजगार करेगा और यदि कृत्रिम ऊर्जा श्रम के अनुपात में महंगी हुई तो श्रम ऊर्जा कृत्रिम ऊर्जा से रोजगार अपनी ओर खींचकर कृत्रिम ऊर्जा को बेकार करेगा।

श्रम को लेकर मार्क्स और गांधी की विचारधारा दुनियां में विचारणीय मानी गयी है। जहॉ मार्क्स म ीनी ऊर्जा से प्राप्त लाभ श्रमजीवियों मे वितरित कर देने की वकालत करते हैं, वहीं गांधी अनिवार्य म ीनीकरण को छोड़कर शेष क्षेत्र में म ीनी उत्पादन को निरूत्साहित करके उसे श्रम प्रधान उत्पादन की दि ाा में देने की नीति की वकालत करते हैं। मार्क्स की नीति का परिणाम यह हुआ कि बुद्धि प्रधान लोगों ने श्रमिकों व श्रमिक हितेषियों का चोला पहनकर इस लाभ को आपस में बाँट लिया। संगठित श्रमिकों ने असंगठित श्रमिकों का निरन्तर शोषण किया व आज भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ शासन की गलत ऊर्जा नीति के कारण गांधी जी की नीति पूरी तरह असफल हो गयी। शासन ने म ीनी उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से सस्ती बिजली देकर और हस्त उद्योग को प्रत्यक्ष सब्सिडी देकर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अर्थ ाास्त्र का एक बिल्कुल सामान्य सा सिद्धान्त है कि जिस वस्तु के मूल्य बढ़ेगे, उसकी मांग घटेगी। साथ ही जिस वस्तु की मांग बढ़ेगी, उसका मूल्य बढ़ेगा। अर्थात मांग और मूल्य एक दूसरे को निरन्तर नियंत्रित करते है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप श्रम का मूल्य बढ़ाते हैं तो श्रम की मांग घटेगी; बढ़ेगी नहीं।परन्तु इसके विपरीत, यदि श्रम की मांग बढ़ती है, तो श्रम का मूल्य बढ़ेगा ही। यदि आप स्वतंत्रता के बाद सरकारों की नीतियों की समीक्षा करें तो आप पाएंगे कि सरकारों ने लगातार कृत्रिम ऊर्जा को सब्सिडी देकर सस्ता रखा जिससे उसकी मांग बढ़ी, दूसरी और उन्होंने निरन्तर श्रम मूल्य बढ़ाने का प्रयास किया जिससे श्रम की मांग घटी। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे–धीरे श्रम का स्थान कृत्रिम ऊर्जा ने ले लिया और श्रम बेरोजगार होता गया। भारत में बेरोजगारी बढ़ने के कारणों में से एक कारण यह भी है कि यहॉ निरन्तर न्यूनतम श्रम मूल्य में इस तरह वृद्धि की अव्यावहारिक घोषणाएं तो व्यवस्था ने की, परन्तु श्रम के अवसर उपलब्ध नहीं कराये।

मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि ही श्रम की मांग तथा श्रम मूल्य बढ़ाने का एकमात्र समाधान है। हमें यह बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिये कि कृत्रिम ऊर्जा श्रम का विकल्प है, श्रम कृत्रिम ऊर्जा का विकल्प नहीं। विकल्प का उद्दे य मूल का सहायक होना है, बेरोजगार करना नहीं। भारत में विकल्प को इतना सस्ता किया गया कि वह मूल से ज्यादा आव यक बन बैठा और मूल ही बेकार हो गया।

इसी तरह कृत्रिम ऊर्जा के मूल्य वृद्धि होने के परिणामस्वरूप आवागमन के महंगे होने का जो शोर मचाया जाता है। वह मात्र वास्तविक समस्या की तरफ से ध्यान हटाने का प्रयास मात्र है। आवागमन हमारी मूल आव यकता न होकर एक सुविधा है। यदि एक बार यह भी मान लिया जाये कि आवागमन महंगा हो जायेगा तो हमे इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिये कि समाज का कौन–कौन सा वर्ग आवागमन के किन–किन साधनों का उपयोग करते हैं। आवागमन में अनियंत्रित वृद्धि को रोकना एक महत्वपूर्ण और उचित कदम होगा जो कुल मिलाकर लाभप्रद होगा, अतः हमें आवागमन महंगा होने से डरने की अपेक्षा उसका स्वागत करना चाहिये।

इसी तरह उत्पादन पर प्रभाव पड़ने वाली बात भी सिर्फ भ्रम है, वास्तविकता नहीं। कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्यवृद्धि होने से श्रम की मांग बढ़ेगी, श्रम की मांग बढ़ने पर उतने ही हाथो को काम मिलेगा और आज जिस मानव श्रम का उपयोग उत्पादन कार्य में नहीं हो पा रहा है वे हाथ जब उत्पादन कार्य में लगे होंगे तो उत्पादन कहीं से भी प्रभावित नहीं होगा। कृत्रिम ऊर्जा के महंगे होने से ऐसे अनेकों म ीनी कार्य जो श्रम ऊर्जा से संभव हैं, वे श्रम ऊर्जा से संचालित होने लगेंगे। आवागमन के महंगे होने से कुटीर एवं हस्त उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा जिसका परिणाम उत्पादन में वृद्धि होगी। कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता वस्तुओं के महंगे होने के जो कारण बताए जाते है, यदि उत्पादन और विक्रय के बीच लगने वाले भारी कर समाप्त कर दिये जाये तो उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात स्पष्ट है कि कृत्रिम ऊर्जा पर भारी कर लगने से और सभी कर समाप्त करने से श्रम प्रधान गरीब का खर्च घटेगा और कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करने वाले का खर्च बढ़ेगा। कुल मिलाकर जब गरीब व्यक्ति की आय बढ़ेगी और व्यय घटेगा तथा सम्पन्न व्यक्ति की आय घटेगी और खर्च बढ़ेगा तो आर्थिक असमानता का दूर होना नि ित ही है।यह आव यक नहीं है कि हम पि चम का अंधानुकरण करके अपने दे ा में वही औद्योगीकरण की नीति अपनाएं जिस पर अमेरिका सहित अन्य विकसित पि चमी राष्ट्रों ने अपने यहां औद्योगीकरण किया है।

आज सम्पूर्ण भारत का उद्योग अपेक्षाकृत सम्पन्न या बड़े उद्योगों की तरफ सिमटता–सिमटता विदे ाी कम्पनियों तक जा रहा है। अनेक छोटे उद्योग, बड़े भारतीय उद्योगों के पास सिमट रहे हैं और ऐसे बड़े भारतीय उद्योग धीरे–धीरे

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास। कमोबे ा कुछ–कुछ यही स्थिति कृषि के क्षेत्र में भी है। कृत्रिम ऊर्जा सस्ती होने की वजह से बड़ा किसान तो कृत्रिम ऊर्जा का लाभ उठा पा रहा है, वहीं छोटा किसान जो मानव श्रम के आधार पर कृषि कार्य कर रहा है उसके लिये वह अलाभकारी होती जा रही है। यदि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ता है तो किसान जिन कार्यो को आज म ीनों द्वारा कर रहा है वह कार्य मानव श्रम के द्वारा होने लगेगा जिसका परिणाम यह होगा कि जो श्रम गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहा है, उसमें कमी आयेगी तथा कृषि उपज का अधिकतम लाभ भी किसान को मिलेगा।

जो मित्र ऐसा सोचते है कि खादी, वृक्षारोपण, परम्परागत खेती, गोपालन आदि का प्रचार और विस्तार भावनात्मक रूप से हो सकता है वे मित्र भ्रम में हैं। ऐसे कार्यों पर भावनात्मक प्रचार का असर कम लोगो पर तथा क्षणिक होता है। आर्थिक समस्याएं तो आर्थिक परिवर्तन से ही खत्म की जा सकती हैं। खादी भले ही महंगी हो किन्तु हम यह सोचकर खादी पहने कि इससे रोजगार मिलेगा, भावनात्मक शुद्धि होगी, पर्यावरण पर असर होगा आदि तो ये भावनात्मक बातें एक दो प्रति ात से अधिक लोगों पर असर नहीं डालती। किन्तु यदि खादी, गोबर, ताजा दूध, वृक्षारोपण आदि की अपेक्षा म ीनी कपड़े, डिब्बा बंद दूध, अंग्रेजी खाद आदि वस्तुएं आर्थिक दृष्टि से अलाभकर तथा महंगी होंगी तो बिना किसी प्रचार के स्वाभाविक रूप से यह परिवर्तन आ जायेगा।

अंत में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे है कि भारत में दो आर्थिक समस्याओं श्रम–मूल्य ह्रास व आर्थिक असमानता का एक और केवल एक ही समाधान है कि कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्यवृद्धि करके आव यक उपभोक्ता वस्तुओं तथा श्रम उत्पादन को पूरी तरह कर मुक्त कर देना चाहिये।

साराशः आज भारत में अनेक आर्थिक समस्याएं व्याप्त हैं। ऐसी सभी आर्थिक समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है– 'कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि।' वर्तमान भारत में कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढ़ाकर ढाई गुना कर देना चाहिये।

ज्ञानोत्सव 2019 दिनॉक 01.09.2019 द्वितीय सत्र दोपहर बाद

श्रम ोषण और मुक्ति

कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धान्त हैंः–

1. साम्यवादियों की यह मजबूरी है कि यदि आर्थिक असमानता और श्रम भोषण कम हो जावे तो उनके सत्ता संघर्ष का आधार ही खतम हो सकता है। पूंजीवाद से राजनैतिक संघर्ष के लिए गरीब और श्रमिक के बीच असंतोष का बढ़ना वामपंथियों की सैद्धान्तिक मजबूरी है।
2. श्रम भोषण तथा आर्थिक असमानता न प्राकृतिक समस्या है न ही कोई परिस्थितिजन्य समस्या। यह तो पूरी तरह पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों का एक मिला–जुला षड्यंत्र है जिसमें भिन्न–भिन्न राजनैतिक उद्दे यों के लिए भिन्न–भिन्न राजनैतिक दल भाामिल हैं।
3. श्रम भोषण के चार सिद्धान्त माने जाते हैं (क) कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण के प्रयत्न (ख) श्रम मूल्य वृद्धि की भाासकीय घोषणाएं (ग) ि ाक्षित बेरोजगारी दूर करने के प्रयत्न (घ) जातीय तथा अन्य आरक्षण।
4. समाज में न सभी बुद्धिजीवी जानबूझकर श्रम भोषण की योजनाऍ बनातें हैं न सभी पूंजीपति। कुछ लोग ही ऐसी योजनाएं बनाते हैं तथा अन्य लोग उसका लाभ उठाते हैं।
5. ि ाक्षा को श्रम भोषण का आधार नही बनाया जा सकता जैसा कि आज हो रहा है।
6. भीम राव अम्बेडकर एक बडे बुद्धिजीवी थे और पूरी तरह श्रम भोषण के पक्षधर थे । उन्होने बुद्धिजीवियों के लिये जीवन भर चिंता की किन्तु श्रमजीवियो के लिये कुछ नही किया।
7. भारत का हर बुद्धिजीवी चाहे वह सवर्ण हो या अवर्ण पूरी ईमानदारी से भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है क्योंकि डॉ अम्बेडकर ने ही उन्हें मिलकर श्रम ोषण का कानूनी लाइसेंस प्रदान कराया है।

श्रम ोषण कब से भाुरु हुआ इसका इतिहास मुझे नहीं मालूम। इतना अव य पता है कि बहुत प्राचीन समय में समाज में श्रम ोषण नहीं था। योग्यतानुसार परीक्षा के बाद वर्ण का निर्धारण होता था। कालांतर में धीरे–धीरे विकृति आयी और बुद्धिजीवियों ने श्रम ोषण प्रारंभ कर दिया अर्थात जन्म से ही वर्ण का निर्धारण होने लगा। ब्राम्हण का लडका ब्राम्हण और श्रमिक का लडका श्रमिक रहने के लिए और जीवन भर रहने के लिए अधिकृत और बाध्य कर दिया गया। यही है श्रम ोषण का इतिहास। योग्यता रहते हुए भी कोई व्यक्ति अपने वर्णो से बाहर नहीं जा सकता था। इस तरह की विकृति के परिणाम स्वरुप भारत लम्बे समय तक गुलाम भी रहा किन्तु उसने इस विकृति से छुटकारा नहीं पाया। इस प्रकार का बौद्धिक आरक्षण ही भारत की गुलामी का मुख्य कारण था। स्वामी दयानंद तथा गॉधी ने इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया किन्तु भीमराव अम्बेडकर ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सब गुड़ गोबर कर दिया।

व्यक्ति अपने जीवनयापन के लिए तीन माध्यमों का उपयोग करता हैं– (1) श्रम (2) बुद्धि (3) धन। जिस व्यक्ति के जीवनयापन की आधे से अधिक आय भाारीरिक श्रम से होती है उसे श्रमजीवी कहा जाता है। जिसकी आधे से अधिक आय बुद्धिप्रधान कार्यों से होती है उसे बुद्धिजीवी तथा जिसकी धन के माध्यम से आय होती है उसे पूॅजीपति माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास श्रम भी होता है,बुद्धि भी होती है तथा धन भी होता है। किन्तु किसी व्यक्ति में एक से अधिक गुण प्रधान नहीं होते। प्रधान तो एक ही होता है अन्य तो सहायक होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय श्रम, बुद्धि या धन की प्रधानता को अपनी क्षमता के अनुसार कभी भी बदल लेता है। श्रमजीवी भी कभी पूॅजीपति बन जाता है तो पूॅजीपति भी कभी श्रमजीवी। पूॅजीपति या बुद्धिजीवी कभी गरीब नहीं हो सकता। आमतौर पर श्रमजीवी ही तथा कुछ मात्रा में अधिक अच्छे बुद्धिजीवी जिन्हें प्राचीन समय में ब्राम्हण कहा जाता था वे गरीब होते है अन्यथा अन्य कोई भी बुद्धिजीवी कभी गरीब नहीं हो सकता क्योंकि श्रमजीवी के पास श्रम के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। जबकि बुद्धिजीवी और पूॅजीपति के पास एक से अधिक विकल्प हमे ाा मौजूद रहते हैं। श्रमजीवी की अधिकतम आय 10000 रु मासिक से अधिक नहीं हो सकती किन्तु बुद्धिजीवी की अधिकतम आय लाखों रुपये मासिक तक हो सकती है और पूॅजीपति की अधिकतम आय करोडों रु मासिक तक हो सकती है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब 20 करोड ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी मासिक आय प्रतिव्यक्ति 1000 और पांच व्यक्तियो के परिवार की 5000 से भी कम हैं। सरकार के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की प्रतिव्यक्ति दैनिक आय 32 रु और दैनिक श्रममूल्य 160 रु के आसपास है। प्राचीन समय में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालो को भिक्षा मांगने का विकल्प भी दिया गया था। इनमें गरीब, श्रमजीवी तथा गरीब ब्राम्हण भाामिल थे बाद में इसमें विकृति आ गई।

वर्तमान समय में यदि हम श्रम शोषण की समीक्षा करें तो यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद भी बुद्धिजीवियों ने अपना षडयंत्र जारी रखा। स्वतंत्रता के पूर्व समाज में सामाजिक आरक्षण था, कानूनी नहीं किन्तु स्वतंत्रता के बाद बुद्धिजीवियों ने ऐसे आरक्षण को कानूनी जामा भी पहना दिया। अंतर यह हुआ कि स्वतंत्रता के पूर्व भात प्रति ात आरक्षण सवर्ण बुद्धिजीवियों का था तो स्वतंत्रता के बाद अम्बेडकर ,नेहरु का समर्थन पाकर उस भात प्रति ात आरक्षण में से 20–25 प्रति ात आरक्षण अवर्ण बुद्धिजीवियों ने भी लेकर श्रम ाोषण के अपवित्र कार्य में हिस्सेदार बना लिया। यह लूट के माल में हिस्सेदारी बकायदा कानून बनाकर हुई और आज भी जारी है। भारत के आदिवासियों और हरिजनों की कुल आबादी में स्वतंत्रता के समय भी 90 प्रति ात श्रमजीवी थे और आज भी 90 प्रति ात ही हैं। भोष 10 प्रति ात आदिवासी हरिजन बुद्धिजीवियों ने अपने श्रमजीवी भाईयों के भाोषण में हिस्सेदारी लेकर सवर्ण बुद्धिजीवियों के साथ समझौता कर लिया। आज भी आप देखेंगे कि आरक्षण की लडाई में सवर्ण बुद्धिजीवी और अवर्ण बुद्धिजीवी ही आपस में टकराते रहते है किन्तु दोनों में से कोई भी समूह 90 प्रति ात श्रमजीवियों की चिंता नहीं करता। आज भी आप देखेंगे कि भारत का हर बुद्धिजीवी चाहे वह सवर्ण हो या अवर्ण पूरी ईमानदारी से भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है क्योंकि डॉ अम्बेडकर ने ही उन्हें मिलकर श्रम ाोषण का कानूनी लाइसेंस प्रदान कराया है।

भारत में लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक श्रम ाोषण के लिए चार माध्यम अपनाये जाते हैं– (1) आरक्षण (2) कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण (3) ि ाक्षित बेरोजगारी (4) श्रममूल्य वृद्धि। सबसे बडा आ चर्य है कि इन चार आधारों पर बुद्धिजीवी श्रम का भाोषण भी करते है तथा इन्हें श्रम समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। इस कार्य में सबसे ज्यादा भूमिका वामपंथियों की रही है। वामपंथी पूरी ताकत से चारों आधारों पर सक्रिय रहते हैं किन्तु अब तो धीरे धीरे सभी बुद्धिजीवियों को श्रम ाोषण में मजा आने लगा है और भारत का हर बुद्धिजीवी और पूॅजीपति इन चारों सिद्धांतो को विस्तार देने में लगा रहता है। आरक्षण की चर्चा तो हम उपर कर चुके है। कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण भी आज लगातार जारी है। स्पष्ट है कि कृत्रिम उर्जा श्रम की प्रतिस्पर्धा मानी जाती है और श्रम की मांग तथा मूल्यवृद्धि में बाधक होती है किन्तु भारत में कृत्रिम उर्जा का मूल्य सिर्फ इसलिए नहीं बढने दिया जाता क्योकि उससे श्रम का मूल्य और मांग बढ जायेगी। कृत्रिम उर्जा सस्ती हो यह बहुत बडा षडयंत्र है, श्रम का भाोषण करने का यह पूॅजीवादी मंत्र है।

दुनिया जानती है कि ि ाक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं हो सकता भले ही वह उचित रोजगार की प्रतिक्षा में बेरोजगार बने रहने का नाटक ही क्यों न करें किन्तु हमारे बुद्धिजीवियों ने बेरोजगारी की एक नकली परिभाषा बनाकर उस परिभाषा के आधार पर ि ाक्षित लोगों को भी बेरोजगार घोषित करना भाुरु कर दिया। आज तक इस परिभाषा में कोई सं ाोधन नहीं किया जा रहा है। कितने दुख की बात है कि श्रमजीवियों द्वारा उत्पादित कृषि उपज वन उपज पर भारी टैक्स लगाकर ि ाक्षा पर भारी खर्च किया जा रहा है। बे ार्म बुद्धिजीवी आज भी ि ाक्षा का बजट बढाने की अन्यायपूर्ण मांग करते देखे जाते है किन्तु कोई नहीं कहता कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी द्वारा उत्पादन और उपभोग की

वस्तुओं पर टैक्स लगाकर ि ाक्षा पर व्यय करना अन्याय है। भारत का हर संगठन यह मांग करता है कि श्रम का मूल्य बढाया जाये। एक सीधा सा सिद्धांत है कि किसी वस्तु का मूल्य बढता है तो मांग घटती है और मांग घटती है तो मूल्य घटता है। स्पष्ट है कि भारत में दो प्रकार के श्रम मूल्य चल रहे है– (1) मांग के आधार पर (2) घोषणा के आधार पर। ज्यों ही सरकार श्रम मूल्य बढाती है त्यों ही श्रम की मांग घटकर म ाीनों की ओर बढ जाती है और श्रम के बाजार मूल्य तथा कृत्रिम मूल्य के बीच दूरी बढ जाती है। आज भी यह दूरी निरंतर बनी हुई है और इसे घटाने का प्रयास न करके बढाने का प्रयास हो रहा है।

इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि दुनिया के अनेक विकसित दे ा इस आधार पर प्रगति कर रहे हैं किन्तु हम यह भूल जाते है कि वे विकसित दे ा श्रम अभाव दे ा है और भारत श्रम बहुल दे ा। यदि हम साम्यवादी दे ाों की नकल कर रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि साम्यवाद में व्यक्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाता है और भारत में स्वतंत्र जीव। साम्यवाद में व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं होते और भारत में ऐसे अधिकार होते हैं। इसलिए साम्यवाद या प ि चम के दे ाों की नकल करते हुये यदि भारत में श्रम ाोषण को न्याय संगत ठहराया जाता है तो यह अमानवीय है और चाहे सारी दुनिया ऐसे श्रम ाोषण के विरुद्ध भले ही आवाज न उठावे किन्तु मैं तो ऐसे अमानवीय कृत्य के विरुद्ध आवाज उठाउॅगा। श्रम के विरुद्ध बुद्धिजीवियों का इतना बडा षडयंत्र होते हुए भी यदि चुप रहा जाये तो मेरी दृष्टि में यह पाप है। आज भारत में यदि नक्सलवाद दिख रहा है तो उसके अनेक कारणों में यह कारण भी एक है । नक्सलवादियों को यह बहाना मिला हुआ है। आप विचार करिये कि बुद्धिजीवियों द्वारा इस तरह श्रमजीवियों के साथ लोकतांत्रिक षडयंत्र होता रहे और हम चुपचाप देखते रहें यह कैसे उचित और संभव है। 20 वर्ष पहले तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं भी बंदुक उठाकर नक्सलवादियों के साथ हो जाऊ किन्तु अग्रवाल परिवार में जन्म लेने के कारण संस्कार मुझे रोक देते थे। फिर भी मैं अपनी आवाज उठाने से चुप नहीं रह सकता।

श्रम ाोषण से मुक्ति के कुछ उपाय किये जा सकते हैं–(1) परिवार व्यवस्था को सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। गरीब या बेरोजगार व्यक्ति नहीं परिवार माना जाना चाहिये। (2) गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के सभी प्रकार के उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं को कर मुक्त करके सारा टैक्स कृत्रिम उर्जा पर लगा देना चाहिये। (3) ि ाक्षा पर होने वाला सारा बजट ि ाक्षा प्राप्त कर रहे या कर चुके लोगों से पूरा किया जाना चाहिये। (4) सरकार जो भी श्रममूल्य घोषित करे उस श्रममूल्य पर किसी भी बेरोजगार को रोजगार देने की सरकारी बाध्यता होनी चाहिये।

मैं समझता हॅू कि अभी यदि इतने भी उपाय कर लिये जाये तो श्रम , बुद्धि और धन के बीच बढती हुई अन्यायपूर्ण दूरी कम हो सकती है। और भी अन्य उपाय हो सकते हैं किन्तु श्रम ाोषण में सक्रिय चार व्यवस्थाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिये। यदि श्रम के साथ न्याय नहीं हुआ तो यह कभी भी समाज में भाांति नहीं स्थापित होने देगा। बंदूके कुछ समय के लिये आवाज को रोक सकती है किन्तु सदा के लिए नहीं रोक सकती।

श्रम की प्रतिस्पर्धा तकनीक से है यह सच होते हुए भी तकनीक विकास का मुख्य आधार है। न तो तकनीक को श्रम–भाोषण के लिये खुला छोड़ना उचित है जैसा कि वर्तमान में हो रहा है और न ही तकनीक को बिल्कुल रोका जा सकता है जैसा वर्तमान गांधीवादी मित्र मांग करते है। उचित मार्ग तो यही होगा कि श्रम को तकनीक से प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त अवसर दिये जायें और तकनीक से प्राप्त लाभ का कुछ अं ा श्रमजीवियों को सहायता के रूप में दिया जाये। बुद्धिजीवियों ने एक गुप्त षड़यंत्र के अन्तर्गत तकनीक को सुविधा प्रदान करने के लिये श्रम उत्पादित और श्रम उपभोग की वस्तुओं तक पर कर लगा दिया। यदि हम ऐसे सभी प्रकार के कर समाप्त कर दें तथा गरीबी रेखा के नीचे वालों को दो हजार रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की सब्सीड़ी दे दें और बदले में कृत्रिम उर्जा (डीजल, बिजली, पेट्रोल, मट्टी तेल, कोयला, गैस) पर उतना ही कर बढ़ा दें जितना आव यक हो तो बेरोजगारी भी पूरी तरह समाप्त हो सकती है, और गरीबी रेखा भी एक बार में ही समाप्त हो सकती है। इस प्रयत्न से श्रम तकनीक से प्रतिस्पर्धा कर लेगा। इससे आवागमन इतना मंहगा होगा कि ग्रामीण उद्योग बहुत विकास करेंगे। कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि से श्रमिक खेती भी बढ़ेगी। साथ ही आवागमन महंगा होने के बावजूद उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ती हो जायगी। क्योंकि कई तरह के टैक्स समाप्त हो जायेंगे।

श्रम भाोषण एक गंभीर समस्या है। श्रम जीवियों का व्यवस्था पर से वि वास उठने लगा है। कुछ बुद्धिजीवी इस असंतोश को नक्सलवाद के रूप में हिंसक स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें वे आंि ाक रूप से सफल भी हैं।

श्रमजीवी बुद्धिजीवियों के इस षडयंत्र में पिस रहा है। श्रमभाोषण रूकना आव यक है और यह तभी रूक सकता है जब बुद्धिजीवियों का एक वर्ग ईमानदारी से श्रम न्याय की दि ाा में आगे बढ़े। यह काम कठिन भी है क्योंकि स्वार्थी बुद्धिजीवियों पूँजीपतियों के गठजोड़ ने श्रमजीवी गरीब ग्रामीण तक के मन में कृत्रिम उर्जा को श्रम सहायक और ि ाक्षा प्रसार को गरीब विकास के लिये आव यक सिद्ध कर रखा है। यह भ्रम दूर करना कठिन होते हुए भी कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हम सबको मिल–जुल कर इस दि ाा में प्रयत्न करना चाहिये। हमें मिल जुलकर श्रम भाोषण मुक्ति अभियान के इस नारे पर गंभीर बहस छेंडनी चाहिये ''कृत्रिम उर्जा सस्ती हो यह बहुत बड़ा षड़यंत्र है, श्रम का भाोषण करने का यह पूँजीवादी मंत्र है।''

साराशः बहुत प्राचीन समय से ही बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के नये–नये तरीके खोजे। भारत में जन्मना वर्ण व्यवस्था तथा पश्चिम में पूंजीवाद ऐसा ही तरीका था। बाद में साम्यवाद भी श्रम भाोषण के आधुनिक साधन के रूप में विकसित हुआ। भारत में भी अभी श्रम मूल्य वृद्धि के सरकारी प्रयत्न, कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण, बेरोजगारी की गलत परिभाषा तथा सब प्रकार के आरक्षण श्रम भाोषण के अलग–अलग तरीके हैं।

निवेदन

आप सबको विदित ही है कि ज्ञान यज्ञ परिवार तथा बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान मिलकर ऋषिकेश कृष्ण कुंज में 31 अगस्त से 15 सितम्बर 2019 तक का ज्ञानोत्सव 2019 कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ज्ञानोत्सव 2019 में प्रतिदिन यज्ञ के साथ साथ दिन भर नि ि चत विषयों पर स्वतंत्र विचार मंथन चलता रहेगा। साथ साथ प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन कथा आदि भी होती रहेगी। आप सब इस ज्ञानोत्सव 2019 में सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं।

मुनि जी तथा अभ्युदय भाई सोलह जून से उत्तर भारत की यात्रा पर हैं। यात्रा का कुछ विवरण पूर्व के ज्ञानतत्व में गया है। शेष आपको इस अंक में प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश	चोपन/वाराणसी	4-Jul-2019	गुरूवार	सुबह	आचार्य जी/ नरेन्द्र नीरव	9415391239	205	
उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	4-Jul-2019	गुरूवार	शाम	श्री रामचंद्र दूबे/ श्री सूर्यनाथ यादव	9838933180 7398410458	138	राजवंती देवी शिक्षण संस्थान, सरदरपुर, काटया चक्की, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
बिहार	बक्सर	5-Jul-2019	शुक्रवार	सुबह	आचार्य धमेन्द्र	9304074716	100	गौरी शंकर महाविद्यालय, ब्रह्मपुर, बक्सर, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश	बलिया बिल्थरा रोड	5-Jul-2019	शुक्रवार	शाम	डॉ जे पी सिंह	9839333205	83	कृषि मंडी समिति, बलिया बिल्थरा रोड, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश	देवरिया लार रोड	6-Jul-2019	शनिवार	सुबह	श्री चंद्रिका प्रसाद चौरसिया	9415277834	50	
उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	6-Jul-2019	शनिवार	शाम	श्री उमाशंकर यादव	9451473510 9935727579	52	बोदरवार बाजार नियर इंटर कॉलेज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश

बिहार	सिवान	7-Jul-2019	रविवार	सुबह	श्री कैलाशपति दरौगा	9939465214	123	प्रेम योग आश्रम, बरौली, गोपालगंज, बिहार
बिहार	छपरा	7-Jul-2019	रविवार	शाम	श्री दिनेश चंद्र / श्री देवराज मुखिया	9204969689	68	हनुमंत जन्मोत्सव, डी.एम बंगला के पास, नियर रेलवे स्टेशन छपरा, जिला–छपरा, बिहार
अम्बिकापुर 09 से 13 जुलाई 2019								
झारखंड	रांची	14-Jul-2019	रविवार	सुबह	श्री वरूण बिहारी	9798659562	300	आर्य समाज मंदिर नियर किशोरी लाल चौक, रांची झारखंड
झारखंड	रामगढ	14-Jul-2019	रविवार	शाम	श्री राजू विश्वकर्मा / श्री बलराम सिंह	9576585772 9431923881	48	मारवाडी धर्मशाला, गोला रोड, रामगढ, झारखंड
झारखंड	धनबाद	15-Jul-2019	सोमवार	सुबह	श्री रूंगटा	9431123154	120	कोयलांचल श्रमिक महाविद्यालय, निरसा, धनबाद, झारखंड
झारखंड	धनबाद	15-Jul-2019	सोमवार	शाम	श्री रूंगटा	9431123154	40	
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	16-Jul-2019	मंगलवार	सुबह	आर्य प्रहलाद गिरी	9735132360	70	इंसाफ इंडिया कार्यालय, आसनसोल, पश्चिम बंगाल
झारखंड	देवघर स्वागत	16-Jul-2019	मंगलवार	शाम	श्री विरेश कुमार शर्मा एडवोकेट	9955161961	117	
बिहार	(स्वागत, विश्राम, भोजन) इनरावरण, जिला बांका बिहार	16-Jul-2019	मंगलवार	शाम	कवि श्री घनश्याम सत्यार्थी	6204033950	71	अग्रवाल धर्मशाला जिला–बांका बिहार
बिहार	असरगंज, बांका	17-Jul-2019	बुधवार	सुबह	श्री सुधांशु / श्री बसंत कुमार सिंह	8051608142 9934929778	20	हाथा बसंत कुमार सिंह, रायपुरा, असरगंज मुंगेर, बांका, बिहार
बिहार	मुंगेर	17-Jul-	बुधवार	शाम	श्री अभय कुमार	9934914626	93	दिशा बिहार कार्यालय, लल्लू पोखर कंकड घाट, मुंगेर, बिहार

		2019			अकेला			
बिहार	लखीसराय	18-Jul-2019	गुरूवार	सुबह	पो0 श्री अजय कुमार	9122194731	50	आर्यानन्द नगर, लखीसराय, बिहार
बिहार	बेगुसराय	18-Jul-2019	गुरूवार	शाम	श्री जयशंकर जी	9931948739	51	ग्राम–सेतरी, बेगुसराय, बिहार
बिहार	मधुबनी	19-Jul-2019	शुक्रवार	सुबह	श्री तारकेश्वर उर्फ निर्मल मिश्रा	9128381234	123	माता मंदिर बस्सीमर, राजनगर, मधुबनी, बिहार
बिहार	शिवहर	19-Jul-2019	शुक्रवार	शाम	श्री जितेन्द्र सिंह / श्री अजय कुमार वर्मा	9430214595 9155309204	106	
19 जुलाई तक फाइनल है।								
19 जुलाई से 04 अगस्त तक इसमें संशोधन हो सकता है।								
मध्य प्रदेश	कटनी	21-Jul-2019	रविवार	सुबह	श्री अरविन्द गुप्ता	9329570031	96	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन न्यायालय के पास
मध्य प्रदेश	रीवा	21-Jul-2019	रविवार	शाम	श्री अभ्युदय भाई	9302811720	140	मानस भवन रीवा
मध्य प्रदेश	सतना	22-Jul-2019	सोमवार	शाम	श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाह	7415114680	98	
मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	23-Jul-2019	मंगलवार	सुबह	श्री दुर्गा प्रसाद आर्य	9893125987	144	गांधी आश्रम छत्तर पुर
मध्य प्रदेश	सागर	23-Jul-2019	मंगलवार	शाम	श्री आर एन मिश्रा / श्री जी पी गुप्ता	8839932144	162	गणेश मंदिर पैराडाइज होटल के सामने मानस नगर मकरोनिया सागर म0प्र0
मध्य प्रदेश	भोपाल	24-Jul-2019	बुधवार	सुबह	श्री अभिषेश अज्ञानी / श्री अशोक राज वैद्य	9826422820	198	

मध्य प्रदेश	उज्जैन	24-Jul-2019	बुधवार	शाम	श्री जोशी जी / श्री कमल सिंह	9685830204	192	
राजस्थान		25-Jul-2019	गुरूवार	शाम	श्री गडिया जी			
राजस्थान		26-Jul-2019	शुक्रवार	सुबह	श्री गडिया जी			
राजस्थान	राजसमंद	26-Jul-2019	शुक्रवार	शाम	श्री हीरालाल श्रीमाली जी	9414928380		
राजस्थान	कोटा	27-Jul-2019	शनिवार	सुबह	श्री नवीन कुमार शर्मा			
राजस्थान	जयपुर	28-Jul-2019	रविवार	सुबह	श्री अमर सिंह आर्य	6350115514	252	
हरियाणा	गुडगांव	29-Jul-2019	सोमवार	सुबह	श्री अश्वनी त्रिपाठी	9310159821	242	
हरियाणा	अम्बाला	29-Jul-2019	सोमवार	शाम	श्री अर्पित अनाम	9416461830	251	
हरियाणा	कैथल	30-Jul-2019	मंगलवार	सुबह	श्री ईशम सिंह तॅवर	9416111590		
उत्तराखण्ड	ऋषिकेश पूर्ण यात्रा							

ज्ञानोत्सव में प्रत्येक विषय पर साढ़े चार घंटे का मंथन होगा। प्रत्येक वक्ता को प्रत्येक विशय पर कुल मिलाकर सात–आठ मिनट ही समय मिलेगा। इसलिये मैं अपने विस्तृत विचार पूर्व में ही भेज रहा हूॅ। यदि आप भी पूर्व में ही अपने विस्तृत विचार इमेल, फेसबुक, व्हाट्सअप या पत्र द्वारा भेज देंगे तो हम उन्हें पूर्व में पाठकों तक पहुॅचाने की व्यवस्था करेंगे। इससे विचार मंथन की गंभीरता बढ़ेगी तथा समय बचेगा।

आप अपने विचार भेजिये।

नोट– जिन स्थानो का अभी स्थान तय नही है। उन स्थानो का स्थान अगले अंक मे प्रकाशित होगा।